



कॉलेजियम ससि्टम

//



# कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

## न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - ◊ राष्ट्रपति “सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों” से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

## कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के सुझाव की “प्रधानता” को “ठोस कारणों” के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि “परामर्श” का अर्थ वास्तव में “सहमति” है।
  - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- ◊ **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

## राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

## आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



## मुस्लिम महिलाओं हेतु न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि

### परलिमिस के लिये:

महिलाओं हेतु न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि, बाल विवाह, जया जेटली टास्क फोर्स, महिला अधिकारिता और लैंगिक समानता।

### मेन्स के लिये:

न्यूनतम विवाह आयु संबंधी मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सरकार से [राष्ट्रीय महिला आयोग \(National Commission for Women- NCW\)](#) द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लिये दायर याचिका पर जवाब देने के लिये कहा।

## विवाह हेतु न्यूनतम आयु कानूनी ढाँचा

### ■ पृष्ठभूमि:

- भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम, 1929 के रूप में जाने जाने वाले कानून द्वारा निर्धारित की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर **बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (Child Marriage Restraint Act- CMRA), 1929** कर दिया गया।
- वर्ष 1978 में लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष करने के लिये CMRA में संशोधन किया गया था।
- **बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (Prohibition of Child Marriages Act- PCMA), 2006** नामक नए कानून में भी यही स्थिति बनी हुई है, जिसने CMRA, 1929 का स्थान लिया है।

### ■ वर्तमान:

- हद्दियों के लिये **हद्द विवाह अधिनियम, 1955** लड़कियों के लिये **न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष** निर्धारित करता है।
- इस्लाम में नाबालगि की शादी जो तरुण अवस्था (प्यूबर्टी) प्राप्त कर चुकी है, वैध मानी जाती है।
- **वशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954** और **बाल विवाह नषिध अधिनियम, 2006** भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
- शादी की नई उम्र को लागू करने के लिये इन कानूनों में संशोधन किये जाने की उम्मीद है।
  - वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया।

## महिलाओं के कम उम्र में विवाह संबंधी मुद्दे:

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** बाल विवाह महिलाओं के **मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है** और नीति निर्माताओं का इस पर ध्यान नहीं जाता है।
  - इन बुनियादी अधिकारों में **शिक्षा का अधिकार**, आराम और अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार (बलात्कार एवं यौन शोषण सहित) शामिल हैं।
- **महिलाओं का अशक्तीकरण:** चूँकि बालिकाएँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं, इसलिये वे **आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं**, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दृष्टि में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।
- **संबद्ध समस्याएँ:** बाल विवाह के साथ ही **कशिशोर गर्भावस्था** एवं **चाइल्ड स्टंटिंग**, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम और **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी** की हानि जैसे परिणाम भी जुड़ जाते हैं।
  - घर में कशिशोर पत्नियों का नमिन् दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और **एनीमिया** की समस्या, सामाजिक अलगाव, **घरेलू हिंसा** और घरेलू वधियों में नरिणय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है।
  - कमज़ोर शिक्षा, **कुपोषण** और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जिससे कुपोषण का अंतर-पीढ़ी चक्र बना रहता है।

## नषिकर्षः

- ववाह संबधी वर्तमान कानून आयु-केंद्ररतल हैं और कसलल धरुड वशष इसडें कुडई अपवाद नहलल है और 'युवावसुथल' डलतुर के आधलर पर वरुगीकरण कल कुडई वैजुडलनकल सडरुथन नहलल है और न हल ववाह करने कल कुषडतल के सलथ कुडई परतुडकुष संबध है ।
- एक वुडकुतल जलसलने तरुणलवसुथल परलडत कर लल है वड परजनन के लडल जैवकल रूड से सकुषड हो सकतल है, लेकनल इसकल डतलड वड नहलल है कल उकुत वुडकुतल डलनसकल यल शलरलरकल रूड से यून करुडललुडें डें संलगुन होने और डकुडे कुड जनुड देने के लडल परुडलडत रूड से परडकुव है ।

## सरुतः द हदुड

## वशषुड डलेरडल रडुडरुत 2022

### परलडडस के लडलः

डलेरडल, डलेरडल कुड नरुडतुरतल करने हेतु कडल जलने वलले परुडलस

### डेनुस के लडलः

सवलसुथुड, डलेरडल और इसकल उनुडूलन

## करुडल डें कुडुडुड?

हलल हल डें [वशषुड सवलसुथुड संगठन](#) (WHO) दुवलरल वशषुड डलेरडल रडुडरुत 2022 जलरल कल गडुड ।

## रडुडरुत के परडुख डदुडः

- डलेरडल के कलरण हुडुड डुडतुडुडः
  - डलेरडल जैसुड डलडलरल से जूडुडने वलले अनेकुडुड देश कुडवडुड-19 डलडलरल के डलवजुड वरुष 2021 डें डलेरडल के वरुडुध डजुडडुडतुड से डटे रहे और इससे डलेरडल संबदुध डलडलुडुड और डुडतुडुड डें सुथरलतल आडुड है ।
    - डलडलरल के डलेले वरुष डें डलेरडल से होने वललल डुडतुडुड 625,000 से कुटकर वरुष 2021 डें 619,000 हो गडुडुड, लेकनल डरल डल डल वरुष 2019 डें डलडलरल डुरव के वरुष डें हुडुड 568,000 डुडतुडुडुड से हल अधकल रहल ।
- डलेरडल के डलडलेः
  - डलेरडल के डलडलुडुड डें वुडुध डेखुडल गडुडुड लेकनल इसकल डर धलडल रहल, आँकुडुडुड के अनुसलर वरुष 2019 डें 232 डललडलन डलडलुडुड, वरुष 2020 डें 247 डललडलन डलडले और वरुष डें 2021 डें 247 डललडलन डलडले डरुज कडल गडुड ।
- डलेरडल जैसुड डलडलरल से तुरसुत देशः
  - डलेरडल जैसुड डलडलरल से तुरसुत देशुडुड कल संखुडल 11 है, उनडे से डुरडुख कलंगुड लुकतलतुरकल गणरलकुड, कुडलनल, डलरत, नलडुडर और संडुकुत गणरलकुड तंजलनलडल हैं जहलुडुड डलेरडल से होने वललल डुडतुडुड डें गरलवट डरुज कल गडुडुड है ।
  - लेकनल डरल डल डलन देशुडुड के कलरण डलडलरल संबधी वैशुवकल डडलव डें वुडुध हुडुडुड है ।
- नरुडतुरण हेतु देशुडुड दुवलरल कडल जलने वलले उडलडः
  - कुडलनलशक-उडकलरतल डकुडरदलनल (Insecticide-treated bednets- ITNs) डुरडुख वेकुटर नरुडतुरण उडलड है जनलकल उडलडुड सुथलनकल देशुडुड दुवलरल कडल जलतल है ।
  - वरुष 2021 डें इंडरडलरुडुड डुरवुडुड डुरलरुडुड इन डुरेगनुडुडसुड (IPTP) कल डुरकलन वरुष 2020 कल तुलनल डें सुथरल रहल ।
- डलेरडल कुडुड सडलडत करने डें डलधलरुडुडः
  - डलेरडल कुडुड सडलडत करने कल डुरकुरडल कुडुड डलधतल करने वललल डलधलरुडुडुड डें शलडललल हैं -सुतुरवलरुडुडतन डुरकुडलवुड, कुडलन डुरेडुड डलडगनुडुडसुडकल टेसुड कल कुडुड डुरडलव नहलल डडुडतल, दवलरुडुड के डुरतरलरुडुड डें वुडुध और वशषुड रूड से अडुरलकल डें शहलरल-अनुकुलतल डकुडरुडुड कल आकुरडण ।
    - डलेरडल कुडुड हरलने डें डदद के लडल नड उडकुरण कल उडलडुड करने हेतु धन कल ततुकलल आवशुडुकतल है ।

## डलेरडल

- डुरकलडः

- **मलेरिया** एक **मच्छर जनित रक्त रोग** (Mosquito Borne Blood Disease) है।
- जो **प्लाज़्मोडियम परजीवी (Plasmodium Parasites)** के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के **उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय** क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इस रोग की रोकथाम एवं इलाज़ दोनों संभव हैं।

#### ■ प्रसार:

- इस परजीवी का प्रसार **संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों** (Female Anopheles Mosquitoes) के काटने से होता है।
  - मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद यकृत कोशिकाओं के भीतर इन परजीवियों गुणात्मक वृद्धि होती है। उसके **बाक्लाल रक्त कोशिकाओं** (Red Blood Cells- RBC) को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप **RBCs** की कमी होती है।
- ऐसी 5 परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण हैं, इनमें से 2 प्रजातियाँ- **प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम** (Plasmodium Falciparum) और **प्लाज़्मोडियम विवैक्स** (Plasmodium Vivax) हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा वदियमान है।

#### ■ लक्षण:

- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सरिदरद, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है।

#### ■ मलेरिया का टीका:

- **RTS,S/AS01** जिसे **मॉस्क्यूरीक्स** (Mosquirix) के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद प्राप्त किया गया है जो कठिनतः सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा **40 प्रतिशत तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं।**
- इसे **ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन** (GlaxoSmithKline- GSK) कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा इसे वर्ष **2015** में **यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी** (European Medicines Agency) द्वारा अनुमोदित किया गया।
- **RTS,S** वैक्सीन मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium P. Falciparum) जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के वरिद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है।

## मलेरिया नियंत्रण के प्रयास:

#### ■ वैश्विक:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी **'ई-2025 पहल'** के अंतर्गत वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है।
- **मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030** का उद्देश्य वर्ष 2020 तक मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर को कम से कम 40%, 2025 तक कम से कम 75% और वर्ष 2015 की बेसलाइन के मुकाबले वर्ष 2030 तक कम से कम 90% तक कम करना है।

#### ■ भारत:

- भारत में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास वर्ष 2015 में शुरू किये गए थे तथा वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (NFME) की शुरुआत के बाद इन प्रयासों में और अधिक तेज़ी आई।
  - NFME मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 (GTS) के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक **मलेरिया कार्यक्रम (GMP)** का मार्गदर्शन करती है।
- **मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22)** जुलाई 2017 में शुरू की गई थी जिसमें आगामी पाँच वर्षों हेतु रणनीति निर्धारित की गई है।
  - यह मलेरिया की स्थानिकता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष-वार उन्मूलन का लक्ष्य प्रदान करता है।
- **'हाई बरडन टू हाई इम्पैक्ट' (High Burden to High Impact-HBHI)** पहल का कार्यान्वयन जुलाई 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू किया गया था।
  - उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में **लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLINs)** के वितरण से इन राज्यों में मलेरिया के प्रसार में कमी आई है।
- **इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)** ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (**MERA-India**) की स्थापना की है जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के लिये मलेरिया परजीवी के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने हेतु एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। एक प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करना कठिन क्यों है? (2010)

- मलेरिया प्लाज़्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है।
- प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता है।
- टीके केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किये जा सकते हैं।
- मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेज़बान है, निर्धारित मेज़बान नहीं है।

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो **प्लाज़्मोडियम परजीवी** के कारण होती है, यह संक्रमित **मादा एनाफिलीज़ मच्छरों** के माध्यम से लोगों में फैलती है।
- मलेरिया परजीवी में प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की असाधारण क्षमता होती है, जो एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में कठिनाई को संदर्भित करती है।
- **RTS,S/AS01 (RTS,S) छोटे बच्चों में मलेरिया के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और अब तक का एकमात्र टीका** है।

अतः विकल्प (b) सही है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

## एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

**प्रलिस के लिये:**

क्रिप्टोग्राफिक कुंजियाँ, डेटा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा कानून।

**मेन्स के लिये:**

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लाभ और हानि।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में Apple ने घोषणा की है कि वह आईक्लाउड (iCloud) पर **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE)** द्वारा संरक्षित डेटा पॉइंट्स को 14 से 23 श्रेणियों तक बढ़ाएगा।

## घोषणा का उद्देश्य:

- Apple द्वारा डेटा-ब्रीच-रिसर्च (data-breach-research) के अनुसार, वर्ष 2013 और 2021 के बीच डेटा ब्रीच की कुल संख्या तीन गुना से अधिक हो गई। अकेले वर्ष 2021 में 1.1 बिलियन व्यक्तिगत रिकॉर्ड का डेटा सामने आया।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ, **क्लाउड में डेटा का उल्लंघन होने की स्थिति में भी उपयोगकर्ता का डेटा सुरक्षित रहेगा।** अच्छी तरह से वित्त पोषित समूहों द्वारा शुरू किये गए हैकर्स हमलों के लक्ष्यों हेतु सुरक्षा की अतिरिक्त परत मूल्यवान होगी।

## एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन:

- **परिचय:**
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है जो दो उपकरणों के बीच साझा किये जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है।
  - यह क्लाउड सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और साइबर अपराधियों जैसे तीसरे पक्षों को डेटा तक पहुँचने से रोकता है, विशेषतः जब डेटा स्थानांतरित किया जा रहा हो।
- **तंत्र:**
  - संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिये उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को एंडपॉइंट्स पर संग्रहीत किया जाता है।
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया एक एल्गोरिथम का उपयोग करती है जो मानक पाठ को अपठनीय प्रारूप में बदल देती है।
  - इस प्रारूप को केवल डिक्रिप्शन कुंजियों वाले लोगों द्वारा अनस्क्रैम्बल किया और पढ़ा जा सकता है, जो केवल एंडपॉइंट्स पर संग्रहीत होते हैं और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों सहित किसी भी तीसरे पक्ष के साथ नहीं।
- **उपयोग:**
  - व्यावसायिक दस्तावेज़ों, वित्तीय विवरणों, कानूनी कार्यवाहियों और व्यक्तिगत वार्तालापों को स्थानांतरित करते समय E2EE का लंबे

समय से उपयोग किया जाता रहा है।

- संग्रहीत डेटा तक पहुँचने के दौरान इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं के प्राधिकरण को न्यंत्रित करने के लिये भी किया जा सकता है।
- संचार को सुरक्षित करने के लिये **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है।**
- इसका उपयोग पासवर्ड सुरक्षित करने, संग्रहीत डेटा की सुरक्षा और क्लाउड स्टोरेज पर डेटा की सुरक्षा के लिये भी किया जाता है।

## एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लाभ (E2EE):

### ■ संप्रेषण में सुरक्षा:

- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, जो एंडपॉइंट उपकरणों पर नज़ी कुंजी संग्रहीत करता है। संदेशों को केवल इन कुंजियों का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है, इसलिये केवल एंडपॉइंट डेवाइस तक पहुँच रखने वाले लोग ही संदेश को पढ़ने में सक्षम होते हैं।

### ■ तीसरे पक्ष से सुरक्षा:

- E2EE यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता डेटा सेवा प्रदाताओं, क्लाउड स्टोरेज प्रदाताओं और एन्क्रिप्टेड डेटा को प्रबंधित करने वाली कंपनियों सहित अनुचित पार्टियों से सुरक्षित है।

### ■ हस्तक्षेप रहित:

- डिक्रिप्शन कुंजी को E2EE के साथ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता के पास पहले से ही मौजूद होती है।
- यदि सार्वजनिक कुंजी के साथ एन्क्रिप्ट किया गया किसी संदेश भेजे जाने के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, तो प्राप्तकर्ता इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा छेड़छाड़ की गई सामग्री तक पहुँच की सुविधा भी नहीं रहेगी।

### ■ अनुपालन:

- कई उद्योग विनियामक अनुपालन कानूनों से बँधे हैं जिनके लिये एन्क्रिप्शन-स्तर की डेटा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- E2EE डेटा को अपठनीय बनाकर उसे सुरक्षित रखने में संगठनों की मदद कर सकता है।

## E2EE से हानि:

### ■ समापन बट्टियों को परभावित करने में जटिलता:

- कुछ E2EE कार्यान्वयन एन्क्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान कुछ बट्टियों पर एन्क्रिप्ट और पुनः एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देते हैं।
- यह संचार सर्किट के समापन बट्टियों को स्पष्ट रूप से परभावित और अलग करता है। यदरिडपॉइंट्स/समापन बट्टियों से छेड़छाड़ की जाती है, तो एन्क्रिप्टेड डेटा प्रकट हो सकता है।

### ■ बहुत अधिक गोपनीयता:

- सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ चिंता व्यक्त करती हैं कि E2EE अवैध सामग्री साझा करने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है क्योंकि सेवा प्रदाता कानून प्रवर्तन को सामग्री तक पहुँच प्रदान करने में असमर्थ हैं।

### ■ मेटाडेटा हेतु सुरक्षा का अभाव:

- हालाँकि संप्रेषण में संदेश एन्क्रिप्टेड होते हैं, संदेश से संबंधित सूचना जैसे संदेश की तथि और भेजने वाले की जानकारी अभी भी दिखाई दे रही होती है और यह डेटा का दुरुपयोग करने वालों के लिये सहायक हो सकती है।

## भारत में एन्क्रिप्शन के लिये कानूनी ढाँचा:

### ■ न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक:

- भारत में एन्क्रिप्शन संबंधी कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालाँकि, बैंकिंग, वित्त और दूरसंचार उद्योगों को न्यंत्रित करने वाले कई उद्योग मानदंडों में न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक शामिल हैं जिनका उपयोग लेनदेन की सुरक्षा के लिये किया जाना चाहिये।

### ■ एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध:

- ISP और DoT के बीच लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को पूर्व मंजूरी के बिना सममति (समिट्रिक) कुंजी एल्गोरिदम या तुलनीय तरीकों का उपयोग करके 40 बटिस से बड़े एन्क्रिप्शन मानकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- ऐसे कई अतिरिक्त नियम और अनुशासण हैं जो विशेष क्षेत्रों के लिये 40 बटिस से अधिक एन्क्रिप्शन स्तर का उपयोग करते हैं।

### ■ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021:

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 पूर्व के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश) नियम 2011 के स्थान पर लाया गया।
- नियमों के एक नए सेट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सगिनल आदि जैसे सोशल मैसेजिंग एप्लिकेशन की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीकों को प्रभावित करने की क्षमता है।

### ■ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड को न्यंत्रित करता है और यह एन्क्रिप्शन संबंधी किसी भी ठोस प्रावधान या नीति से रहित है।

### चुनाव आयोग के संदर्भ में नजिी सदस्य वधियक

#### प्रलिमिंस के लयि:

भारत नरिवाचन आयोग (ECI), अनुच्छेद 324, भारत की संचति नधि, इनर पार्टी डेमोक्रेसी

#### मेन्स के लयि:

चुनाव आयोग की शक्तयिँ और ज़मिमेदारयिँ

### चरचा में क्यौं?

हाल ही में देश में राजनीतिक दलों के आंतरकि संचालन को वनियमति करने और नगिरानी के लयि [भारत नरिवाचन आयोग \(Election Commission-ECI\)](#) को ज़मिमेदार बनाने के लयि लोकसभा में एक [नजिी सदस्य वधियक](#) पेश कयिा गया ।

- यह वधियक ऐसे समय में प्रस्तुत कयिा गया है जब [सर्वोच्च न्यायालय](#), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नयिुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचकिाओं पर सुनवाई कर रहा है ।
- यह तर्क दयिा गया था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की आंतरकि कार्यप्रणाली और संरचनाएँ बहुत "अपारदर्शी एवं जटलि" हो गई हैं तथा और उनके कामकाज़ को पारदर्शी, जवाबदेह और नयिम आधारति बनाने की आवश्यकता है ।

### नजिी सदस्य वधियक

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, को एक नजिी सदस्य के रूप में जाना जाता है ।
- नजिी सदस्य वधियक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षति करना है, जो कि सांसदों (मंत्रयिँ के अतरकि) के मुताबकि, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और जसि वधियी हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।
  - इस प्रकार यह सार्वजनकि मामलों पर वपिक्षी पार्टी के रुख को दर्शाता है ।
- सदन में इसे पेश करने के लयि एक महीने के नोटसि की आवश्यकता होती है औइसे प्रस्तुत करने तथा इस पर चरचा करने का कार्य केवल शुक्रवार को ही कयिा जा सकता है ।
  - सदन द्वारा इसे अस्वीकृत कयिे जाने से सरकार में संसदीय वशिवास या उसके त्याग-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- पछिली बार दोनों सदनों द्वारा एक नजिी सदस्य वधियक 1970 में पारति कयिा गया था ।
  - यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधकि अपीलीय क्षेत्राधिकार का वसितार) वधियक, 1968' था ।

### वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- CEC की नयिुक्ति:
  - यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, वपिक्ष के नेता या लोकसभा में सदन के नेता, वपिक्ष के नेता या राज्यसभा में सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषिठतम न्यायाधीश, से मलिकर बने एक पैनल द्वारा नयिुक्त कयिे जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त सहति चुनाव आयोग के सदस्यों की भी मांग करता है ।
- CEC के लयि कार्यकाल:
  - वधियक में CEC और EC के लयि छह साल के नशिचति कार्यकाल और क्षेत्रीय आयुक्तों के लयि नयिुक्ति की तथिसे तीन वर्ष के कार्यकाल की परकिलपना की गई है ।
- CEC को हटाने की प्रक्रयिा:
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लयि नरिधारति प्रक्रयिा के अलावा उन्हें पद से हटायिा नहीं जा सकता ।
  - साथ ही, सेवानवृत्ति के बाद, वे भारत सरकार, राज्य सरकारों और संवधिान के तहत कसिी भी कार्यालय में कसिी भी पुनर्नयिुक्ति के लयि पात्र नहीं होने चाहयिे ।
- गैर-अनुपालन की सथति में प्रक्रयिा:
  - यदकि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल अपने आंतरकि कार्यो के संबंध में ECI द्वारा जारी सलाह, व नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है, तो

**चुनाव चहिन (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968** की धारा 16A के तहत ऐसे राजनीतिक दल की राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा वापस ली जा सकती है।

## ECI की संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- आयोग में एक CEC और दो EC होते हैं।
  - भारत के राष्ट्रपति CEC और EC की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
  - वे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

## ECI की शक्तियाँ और कार्य:

- संसद के **परसिमन** आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव नरिवाचन क्षेत्रों का नरिधारण करना।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- **राजनीतिक दलों को मान्यता** प्रदान करना और उन्हें चुनाव चहिन आवंटित करना।
- आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों को **चुनाव के बाद अयोग्य ठहराने के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।**
- यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, **चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव।**
- चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से वकिसति **आदर्श आचार संहिता** के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिये चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

## चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे:

- **CEC का संकषपित कार्यकाल:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टपिपणी की क'िवरष 2004 से कसि भी मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है" और इस संकषपित कार्यकाल के कारण CEC कोई विशेष भूमिका नभाने में असमर्थ रहा है।
  - संविधान का **अनुच्छेद 324** नरिवाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परकिलपना करता है और इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया नरिधारित नहीं करता है।
- **नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव:** नरिवाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिये वे संभावित रूप से सरकार के प्रतिकृतज्ञ होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रतिकृतज्ञ वशिषिट स्तर की नषिटा का प्रदर्शन करना है।
- **वर्तित के लिये केंद्र पर नरिभरता:** ECI को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिये अभकिलपति विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वर्तित का नरितरण केंद्र सरकार के पास है। नरिवाचन आयोग का वयय **भारत की संचति नधि** पर भारित नहीं रखा गया है।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** चूँकि ECI के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते, इसलिये जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर नरिभर रहना पड़ता है।
- **आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये सांविधिक समर्थन का अभाव:** आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये और नरिवाचन संबंधी अन्य नरिणयों के संबंध में भारत नरिवाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृतिके बारे में स्पष्टता नहीं है।
- **आंतरकि-पार्टी लोकतंत्र को वनियमति करने की सीमति शक्ति:** राजनीतिक दलों के आंतरकि चुनावों के संबंध में ECI की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमति है और उसके पास **राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र** को लागू करने या उनके वर्तित को वनियमति करने का कोई अधिकार नहीं है।

## आगे की राह

- **जस्टिस तारकुंडे समिति (1975), दनिश गोस्वामी समिति (1990), वधि आयोग (2015)** जैसी विभिन्न समितियों ने सफिराशि की है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिकष के नेता और CJI की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर की जाए।
- कार्यालय से हटाने के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संविधानकि संरक्षण दिया जाना चाहिये। एक समर्पित चुनाव प्रबंधन संवर्ग और कार्मकि प्रणाली लाना समय की मांग है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलिय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2  
(c) केवल 2 और 3  
(d) केवल 3

उत्तर: (d)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
- मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को नपिटाने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति निहित है। **अतः कथन 3 सही है।**
- यह चुनावों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (d) सही है।**

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022)

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## उर्वरक सब्सिडी

### प्रीलिमिंस के लिये:

उर्वरक सब्सिडी, यूरिया, DAP, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

### मेन्स के लिये:

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित मुद्दे और आगे की राह।

## चर्चा में क्यों?

उच्च सरकारी सब्सिडी के कारण दो **उर्वरकों - यूरिया और डार्ड-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)** का अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

## उर्वरक सब्सिडी

- **उर्वरक:**
  - उर्वरक एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K) रासायनिक तत्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं।
  - भारत में 3 मुख्य उर्वरक हैं - यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- **उर्वरक सब्सिडी के बारे में:**
  - सरकार **उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी** का भुगतान करती है ताकि किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर उर्वरक खरीदने की अनुमति मिल सके।
  - उर्वरक के उत्पादन/आयात की लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा होता है।
- **यूरिया पर सब्सिडी:**
  - भारत में, यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत और भौतिक रूप से वनियमित उर्वरक है। यह केवल कृषि उपयोगों के लिये अनुदानित है।
  - केंद्र प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करता है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचती है।

- यूरिया की **MRP** फलिहाल **5,628** रुपये प्रति टन तय की गई है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी:
  - गैर-यूरिया उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य कंपनियों द्वारा न्यतिरति या तय नहीं की जाती है।
  - लेकिन सरकार ने हाल ही में और वशिष रूप से **सुरस-युकरेन युद्ध** के बाद उर्वरकों के वैश्विक मूल्य में वृद्धि आने के बाद से उर्वरकों को सरकारी न्यतिरण व्यवस्था के अंतरगत शामिल कर दिया है।
  - सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना** के तहत वनियमित किया जाता है।
  - गैर-यूरिया उर्वरकों के उदाहरण - DAP और MOP।
    - कंपनियों द्वारा **DAP** की प्रति टन नरिधारित मूल्य **27,000** रुपए है।

## उर्वरकों हेतु पहलें:

- नीम कोटेड यूरिया':
  - उर्वरक वभिग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये शत-प्रतिशत यूरिया का उत्पादन 'नीम कोटेड यूरिया' (NCU) के रूप में करना अनवार्य कर दिया है।
- नई यूरिया नीति 2015:
  - इस नीति के नमिनलखित उद्देश्य हैं-
    - स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना।
    - यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
    - भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को युक्तसिंगत बनाना।
- सट्टी कम्पोस्ट के प्रोत्साहन हेतु नीति:
  - भारत सरकार ने सट्टी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिये 1500 रुपए की बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance) प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में उर्वरक वभिग द्वारा अधिसूचित सट्टी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी।
  - बकिरी में वृद्धि करने के लिये, शहर के खाद को बेचने के इच्छुक खाद नरिमाताओं को सीधे किसानों को खाद थोक में बेचने की अनुमति दी गई।
  - शहरी खाद का वपिणन करने वाली उर्वरक कंपनियों को **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के अंतरगत शामिल किया गया है।
- उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - उर्वरक वभिग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनजि नदिशालय (AMD) के सहयोग से **इसरो** के तहत राष्ट्रीय रमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा "रॉक फॉस्फेट का रफ्लेक्सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण" पर तीन साल का पायलट अध्ययन शुरू किया।

## उर्वरक सब्सिडी से संबंधित मुद्दे:

- उर्वरकों की कीमत में असंतुलन:
  - यूरिया और DAP पर उच्च सब्सिडी उन्हें किसानों के लिये अन्य उर्वरकों की तुलना में बहुत सस्ता बनाती है।
  - जहाँ यूरिया पैकड नमक के मुकाबले एक चौथाई दाम पर बकि रहा है, वहीं DAP भी अन्य उर्वरकों के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है।
  - अन्य उर्वरक जो न्यतिरण मुक्त किये गए थे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं जसिसे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया और DAP का उपयोग कर रहे हैं।
- पोषक तत्त्व असंतुलन:
  - देश में **N, P और K** का उपयोग पछिले कुछ वर्षों में **4:2:1** के आदर्श **NPK** उपयोग अनुपात से तेज़ी से वचिलित हुआ है।
  - यूरिया और DAP कसि भी एक पोषक तत्त्व का **30%** से अधिक होता है।
    - यूरिया में **46% N** होता है, जबकि DAP में **46% P** और **18% N** होता है।
  - अन्य, अधिक महंगे उर्वरकों की तुलना में इनके उपयोग के कारण पोषक तत्त्वों के असंतुलन का मट्टि के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अंततः फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकता है।
- वतितीय स्वास्थ्य को नुकसान:
  - उर्वरक सब्सिडी अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है।
  - सब्सिडी वाले यूरिया को थोक खरीदारों/व्यापारियों या यहाँ तक कि गैर-कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे कपिलाइवुड और पशु चारा नरिमाताओं को दिया जा रहा है।
    - इसकी तसकरी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है।

## आगे की राह

- यह देखते हुए कि सभी तीन पोषक तत्त्व अर्थात् N (नाइट्रोजन), P (फास्फोरस) और K (पोटेशियम) फसल की पैदावार और उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, सरकार को आवश्यक रूप से सभी उर्वरकों के लिये एक समान नीति अपनानी चाहिये।
- लंबे समय में, NBS को ही एक फ्लैट प्रति एकड़ नकद सब्सिडी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये जसिका उपयोग कसि भी उर्वरक को खरीदने

के लिये किया जा सकता है।

- इस सब्सिडी में मूल्य वर्द्धति और अनुकूलति उत्पाद शामिल होने चाहिये जनिमें न केवल अन्य पोषक तत्त्व शामिल हों बल्कि यूरिया की तुलना में नाइट्रोजन भी अधिक कुशलता से वितरित हो।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

**प्रश्न: भारत में रासायनिकि उर्वरकों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2020)**

1. वर्तमान में रासायनिकि उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार संचालति है और यह सरकार द्वारा नयितरति नहीं है।
2. अमोनिया, जो यूरिया बनाने में काम आता है, प्राकृतिकि गैस से उत्पन्न होता है।
3. सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये एक कच्चा माल है, तेलशोधन कारखानों का उपोत्पाद है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- भारत सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी देती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो तथा देश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बना रहे। यह काफी हद तक उर्वरक की कीमत और उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करके प्राप्त किया जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- प्राकृतिकि गैस से अमोनिया (NH<sub>3</sub>) का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिकि गैस के अणु कार्बन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर हाइड्रोजन को शुद्ध किया जाता है तथा अमोनिया के उत्पादन के लिये नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस सथितिकि अमोनिया को यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट तथा मोनो अमोनियम या डायमोनियम फॉस्फेट के रूप में संश्लेषण के बाद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उर्वरक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- सल्फर तेलशोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उप-उत्पाद है। अधिकांश कच्चे तेल ग्रेड में कुछ सल्फर होता है, जनिमें से अधिकांश को परिष्कृत उत्पादों में सल्फर सामग्री की सखत सीमा को पूरा करने के लिये शोधन प्रक्रिया के दौरान हटाया जाना चाहिये। यह कार्य हाइड्रोड्रीटिंग के माध्यम से किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप H<sub>2</sub>S गैस का उत्पादन होता है जो मौलिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। सल्फर का खनन भूमिगत, प्राकृतिकि रूप से पाए जाने वाले नकिषेणों से भी किया जा सकता है लेकिन यह तेल और गैस से प्राप्त करने की तुलना में अधिक महंगा है तथा इसे काफी हद तक बंद कर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसडि का उपयोग मोनोअमोनियम फॉस्फेट (Monoammonium Phosphate- MAP) एवं डायमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate- DAP) दोनों के उत्पादन में किया जाता है। **अतः कथन 3 सही है।**

**अतः विकल्प (b) सही है।**

**??????**

**प्रश्न.** सब्सिडी फसल प्रतरूप, फसल वविधिता और किसानों की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? छोटे और सीमांत किसानों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? **(मुख्य परीक्षा, 2017)**

**प्रश्न.** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ मूल्य सब्सिडी के प्रतस्थापन से भारत में सब्सिडी का परदृश्य कैसे बदल सकता है? चर्चा कीजिये। **(मुख्य परीक्षा, 2015)**

**प्रश्न.** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसानों को दी जाने वाली वभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडी क्या हैं? इसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में कृषि सब्सिडी व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। **(मुख्य परीक्षा, 2013)**

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

# NMCG और नमामागिंगे कार्यक्रम

## प्रलिस के लिये:

NMCG, नमामागिंगे कार्यक्रम, अर्थ गंगा, प्राकृतिक खेती, SBM 2.0, AMRUT 2.0, 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन'

## मेन्स के लिये:

गंगा नदी के कायाकल्प में नमामागिंगे कार्यक्रम का महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन \(National Mission for Clean Ganga- NMCG\)](#) की 10वीं अधिकारिता कार्य बल (Empowered Task Force- ETF) बैठक की अध्यक्षता की।

- [नमामागिंगे कार्यक्रम](#) के हिससे के रूप में, स्वच्छता संबंधी पर्यासों की तुलना में केंद्र सरकार का ध्यान गंगा नदी के संरक्षण, पर्यटन संबंधी सुधार और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की ओर अधिक केंद्रित हो गया है।

## गंगा नदी के कायाकल्प संबंधी हालिया विकास :

- पर्यटन मंत्रालय [अर्थ गंगा](#) परियोजना के अनुरूप गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिये एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है।
  - 'अर्थ गंगा' का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास मॉडल विकसित करना है।
- [आजादी का अमृत महोत्सव](#) के हिससे के रूप में गंगा नदी के किनारे 75 शहरों में पर्यटन स्थलों और मेलों के आयोजन की योजना बनाई गई है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) गंगा नदी के किनारे जैविक खेती और [प्राकृतिक खेती](#) के गलियारों (कॉरडोर) के निर्माण हेतु कई आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।
  - MoA&FW द्वारा गंगा के निकट के गाँवों में जल-उपयोग दक्षता में सुधार के पर्यासों के साथ [हिमर्यावरण-अनुकूल कृषि](#) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय [स्वच्छ भारत मिशन 2.0](#) और [अमृत 2.0 \(AMRUT 2.0\)](#) के तहत शहरी नालों की मैपिंग तथा गंगा शहरों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गंगा बेल्ट में [वनीकरण गतिविधियों](#) और ['प्रोजेक्ट डॉल्फिन'](#) को आगे बढ़ाने की एक वसित योजना पर भी काम कर रहा है।

## राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):

- **परिचय:**
  - [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन](#) गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसे 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' भी कहा जाता है।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे अगस्त 2011 को [सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860](#) के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - मिशन में मौजूदा [सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट \(STP\)](#) को [पूर्व अवस्था में लाना](#) और बढ़ावा देना तथा सीवेज के प्रवाह की जाँच के लिये रिवरफ्रंट के निकास बंदियों पर प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल है।
  - प्राकृतिक मौसम परिवर्तन में बदलाव के बिना जल प्रवाह की नरिंतरता बनाए रखना।
  - सतही प्रवाह और भूजल को बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।
  - कृषि क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जीवन और उनका रखरखाव करना।
  - गंगा नदी बेसिन की जलीय जैव विविधता के साथ-साथ तटवर्ती जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्जीवित करना।
  - नदी के संरक्षण, कायाकल्प और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की अनुमति देना।

## नमामागिंगे कार्यक्रम

- **परिचय:**
  - नमामागिंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ['फ्लैगशिप कार्यक्रम'](#) के रूप में [अनुमोदित किया गया था](#), ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण वभाग तथा [जल शक्ति मंत्रालय](#) के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह **कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG)** और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **नमामांगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण** में राज्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय वसितुत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - छोटी नदियों और **आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।**
  - प्रत्येक प्रस्तावित गंगा जलि में कम से कम 10 आर्द्रभूमि हेतु वैज्ञानिक योजना और स्वास्थ्य कार्ड विकसित करना है और उपचारित जल एवं अन्य उत्पादों के पुनः उपयोग के लिये नीतियों को अपनाना है।
- **कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:**
  - सीवेज ट्रीटमेंट अवसंरचना
  - रविर फ्रंट डेवलपमेंट
  - नदी-सतह की सफाई
  - जैव विविधता
  - वनीकरण
  - जन जागरण
  - औद्योगिक प्रवाह नगिरानी
  - गंगा ग्राम

## संबंधित पहलें:

- **गंगा एक्शन प्लान:** यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वषिकृत एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।
  - **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा एक्शन प्लान** का ही वसितार है। इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- **राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA):** इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- इसने गंगा नदी को भारत की '**राष्ट्रीय नदी**' घोषित किया।
- **स्वच्छ गंगा कोष:** वर्ष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशषिट उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
- **भुवन-गंगा वेब एप:** यह गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की नगिरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **अपशषिट नपिटान पर प्रतर्बंध:** वर्ष 2017 में [नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल](#) द्वारा गंगा नदी में कसिी भी प्रकार के कचरे के नपिटान पर प्रतर्बंध लगा दिया गया।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

??????

प्रश्न: नमामांगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG) कार्यक्रमों पर और इससे पूरव की योजनाओं से मशिरति परणामों के कारणों पर चर्चा कीजिये। गंगा नदी के पररिक्षण में कौन-सी प्रमातरा छलांगे, क्रमकि योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक हो सकती हैं? (2015)

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)